प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उन्चास'

[18/2/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 291]

परिशिष्ट "अ"

नियम–शर्तें

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 291
श्री प्रदीप पटेल

1. गाड़ी 24 घण्टे ड्यूटी पर रहेंगी।
2. गाड़ी सार्वजनिक स्थानों पर तैनात रहेंगी।
3. प्रत्येक गाड़ी में 3 ड्रायवर होगें।
4. सभी ड्रॉयवर निर्धारित गणवेश में ड्यूटी पर रहेंगे।
5. गाड़ी का किराया मार्च 2020 तक के लिये फिक्स है। निविदा में उद्धृत किराया राशि में निविदा के समय लागू टैक्स (सर्विस टैक्स @12.36% एवं VAT @13%) सम्मिलित है। भविष्य में टैक्स में परिवर्तन का समायोजन होगा।
6. गाड़ी का मेन्टेनेन्स कम्पनी को ही करना होगा इसमे टायर, ट्यूब, बैटरी, मरम्मत, कॉच बदली सब कुछ शामिल होगा।
7. गाड़ी का बीमा कराने की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी।
8. गाड़ी में डीजल और अन्य ऑयल डलवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। डीजल का भुगतान बाद में बिल पेश करने पर होगा।
9. गाड़ी का एवरेज A.R.A.I. द्वारा निर्धारित एवरेज (14 कि.मी. प्रति लीटर) में 15% की छूट के साथ निर्धारित होगा (जो कि 11.9 कि.मी. प्रति लीटर होता है) चाहे वास्तव में गाडी का एवरेज कितना भी कम आये यदि कम्पनी ने ज्यादा डीजल खर्च किया है तो भी भुगतान निर्धारित एवरेज से ही होगा। शेष डीजल का भुगतान कम्पनी को ही वहन करना होगा।
10. गाड़ी का माइलेज वाहन में लगाये जाने वाले G.P.S. डाटा से तुलना करके दिया जावेगा गाड़ी के माइलोमीटर और G.P.S. डाटा दोनों में जो भी कम होगा, गाड़ी की रनिंग उतनी ही मानी जावेगी।
11. माह मे गाड़ी की उपलब्धता 95% या उससे ज्यादा होनी चाहिए यानि कि 30 दिन में 28.5 दिन गाड़ी ड्यूटी पर रहना चाहिए शेष 1.5 दिन मेन्टेनेन्स के लिए रह सकती है 95% से कम रहने पर प्रतिदिन की दर से कटौती तथा रू. 100 प्रतिदिन पेनाल्टी लगेगी।
12. वाहनों के संचालन हेतु पर्यवेक्षक स्टॉफ (1 फ्लीट हैड, 4 असिस्टेट मैनेजर, 51 जिला प्रभारी कंपनी को तैनात करने होंगे। इनके वेतन भत्तों की राशि पृथक से नही दी जावेगी (यानि कि उद्धृत किराये में ही शामिल होगी।)
13. सभी वाहन नये होंगे और निविदा दाता के नाम पंजीकृत होंगे। (यानि कि निविदादाता पुराने वाहन या बाजार से वाहन किराये पर लेकर डॉयल–100 में नहीं लगा सकेगा। इसका यह भी आशय है कि सभी वाहन टैक्सी के तौर पर परिवहन विभाग में पंजीबद्ध होंगे।
14. वाहन के ड्रायवर को F.R.V. के दायित्वों का एवं इसमें लगाये गये उपकरणों के संचालन का विशेष प्रशिक्षण दिया जावेगा।

पुलिस अधीक्षक (रेडियो)
डायल 100, म0प्र0, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल